

कायालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
सतपुड़ा भवन, भोपाल

दिनांक :- 29-06-2026

क्रमांक E 475557/1/1123006/2026 उच्च शिक्षा विभाग वृद्धा जारी आदेश क्रमांक 1/968844/2026/CC/2026/38 दिनांक 24.4.2026 के अनुक्रम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिये मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश के शासकीय/ अनुदान प्राप्त अशासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु द्वितीय सी. एल.सी चरण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. द्वितीय सीएलसी चरण 01 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जायेगा।
2. 01 जुलाई 2026 से प्रतिदिन प्रवेश पोर्टल पर महाविद्यालय वार रिक्त सीटों का प्रदर्शन किया जायेगा।
3. रिक्त सीटों पर विद्यार्थी सीधे महाविद्यालय में उपस्थित होकर ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
4. 01 जुलाई 2026 से प्रतिदिन विद्यार्थी शाम तीन बजे तक पंजीयन/विकल्प चयन कर सकेगा तत्पश्चात हेल्प सेंटर द्वारा चार बजे तक प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जायेगा।
5. शाम पांच बजे आवंटन जारी किया जाएगा। आवंटन जारी होने के दूसरे दिन 4 बजे तक प्रवेश शुल्क जमा करना होगा।
6. प्रवेश शुल्क जमा न किये जाने की स्थिति में प्रवेश मान्य नहीं होगा।
7. निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा न करने पर पुनः रीचॉइस करना होगी।
8. यह प्रक्रिया 15 जुलाई 2026 तक की जाएगी।

(प्रबल सिपाहा)
आयुक्त
उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. प्राचार्य, समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय एवं एन.सी.टी.ई पाठ्यक्रम संचालित करनेवाले महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
7. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. प्रवेश एजेंसी की ओर कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
उच्च शिक्षा

